सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/12/12	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा एकपक्षीय बहस प्रस्तुत की गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि ग्राम बडा कोटेचा, तहसील ओसियां में खसरा नं. 117/1 (एक सौ सत्रह बटा एक) रकबा 14 (चौदह) बीघा 11 (ग्यारह) बिस्वा प्रतिवादी सं. 1 (मोहनराम) एवम् प्रतिवादी सं. 2 (पुरखाराम) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवम् प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1, मोहनराम के वारिसान है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से वादग्रस्त खसरा नं.	

112 में अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने पर उतारू है। चूंकि वादीगण का पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है अतः यदि प्रतिवादी द्वारा बेचान कर दिया जाता है तो वादीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। वादीगण को उक्त खसरानं. में खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा No Instructions दिया गया। चूंकि प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब एवम् साक्ष्य पेश नहीं किया गया एवम् प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एकपक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय द्वारा वादपत्र, साक्ष्यों एवम् बहस पर मनन किया गया। न्यायालय

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण का वादग्रस्त खसरे पर जन्म से ही अधिकार है क्योंकि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवम प्रतिवादी की पैतृक भूमि है इस संबंध में वादीगण द्वारा भूमि के पुश्तैनी साबित करने हेतु संवत 2015-18 तक की जमाबंदी की प्रतिलिपि पेश की।	
चूंकि वादीगण इस वादग्रस्त भूमि पर जन्म से ही अधिकारी है अतः धारा 88 एवम 92-क राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के तहत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को उक्त खसरा नं. में खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

हालांकि प्रतिवादी सं. 1 (एक) वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता एवम् वादी सं. 6 के पति है अतः पुत्र-पुत्रियों द्वारा पिताजी के जीवित होते हुए खातेदारी अधिकार मांगने पर रा.का.अ. 1955 में स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादीगण को उनके हक हिस्से तक खातेदार घोषित किये जाने से उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

अतः यह न्यायालय वादी सं. 1 से 6 को संयुक्त रूप से खसरा नं. $\frac{117}{1}$ (एक सौ सत्रह बटा एक) रकबा 14 (चौदह) 11 बिस्वा, ग्राम बडा कोटेचा, का $\frac{6}{14}$ (छः बटा चौदह) हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी कर तहसीलदार को पालनार्थ भेजा जावे।

Sd/-

किस मुकदमा   नं.   हुक्म को तामील हुक्म जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आदेश वादी सं. 1 से 6 क्रमशः मुकाराम पुत्र मोहनराम, नथुराम पुत्र मोहनराम, सुमेराराम पुत्र मोहनाराम, गीता पुत्री मोहनराम, कालु पुत्री मोहनराम, जेती पत्नी मोहनराम को खसरा नं. 117/1 (एक सौ सत्रह बटा एक) रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में से 6/14 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। यह हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 (एक) मोहनराम के 1/2 (आधे) हिस्से में से कम किया जायेगा। खसरा नं. 117/1 में 1/2 (आधा) हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 (दो)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता...
अहकाम जो...
हुक्म की ता...
में जारी...

पुरखाराम पुत्र सूरताराम के नाम, $\frac{1}{14}$ हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 (एक), मोहनराम पुत्र सूरताराम के नाम एवम् शेष $\frac{6}{14}$ (छ: बटा चौदह) हिस्सा संयुक्त रूप से वादीगण 1 से 6 के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया जावे।